

प्रेस नोट, जनपद प्रतापगढ़, दिनांक 18.12.2020

एटीएम कार्ड का क्लोन तैयार कर फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार 273200/- रुपये (एटीएम फ्रॉड के), 02 अदद लैपटॉप, 07 मोबाइल फोन, 02 अदद आधार कार्ड, 01 MSRX6BT मशीन, 44 अदद एटीएम / ब्लैंक कार्ड, 01 डिजायर कार बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री अनुराग आर्य के कुशल निर्देशन मे आज दिनांक 18.12.20 की रात्रि में समय करीब 04.00 बजे जनपद प्रतापगढ़ के थाना लालगंज पुलिस व स्वाट टीम के द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर एटीएम का क्लोन तैयार कर फ्रॉड करने वाले गिरोह के 05 सदस्यों को थानाक्षेत्र लालगंज के इन्द्रा चौराहे से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 अदद लैपटाप मय चार्जर, 07 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद MSRX6BT मशीन, 44 अदद एटीएम / ब्लैंक कार्ड, 02 अदद आधार कार्ड तथा 273200/-रु0 नगद (एटीएम फ्रॉड के), व 01 अदद डिजायर कार बरामद की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. अखिलेश पाल पुत्र नन्हे लाल पाल निवासी रामगढ़ रैला पकड़िया, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़
02. राहुल पाल पुत्र अनिल पाल निवासी टिकरी थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़
03. रामू भारती उर्फ आदित्य पुत्र दयाराम निवासी खपरिया थाना हंडिया, जनपद प्रयागराज
04. रमा शंकर उर्फ बबू पुत्र उमा शंकर चौहान निवास गनेशीपुर थाना हंडिया जनपद प्रयागराज
05. अजय यादव उर्फ जोखू पुत्र तेजबली निवासी रमईपुर बजहामिश्रान थाना हंडिया, जनपद प्रयागराज

बरामदगी-

- 01- 273200/-रु0 नगद (एटीएम फ्रॉड के)
- 02- 01 अदद डिजायर कार नं0 यूपी 70 एफ0एल0 4033 बरामद की गयी।
- 03- 02 अदद लैपटाप मय चार्जर,
- 04- 07 अदद मोबाइल फोन,
- 05- 01 अदद MSRX6BT मशीन,
- 06- 44 अदद एटीएम / ब्लैंक कार्ड,
- 07- 02 अदद आधार कार्ड

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोगों का एक गिरोह है। हम लोग, लोगों को झांसा देकर उनका एटीएम कार्ड हथिया कर फर्जी तरीके से कार्ड का क्लोन तैयार कर उन लोगों के खाते से पैसे निकाल लेते हैं। हम लोग ऐसे एटीएम बूथ को निशाना बनाते हैं, जहां पर गार्ड नियुक्त न हो और ऐसे लोगों का एटीएम कार्ड हथियाने का प्रयास करते हैं जो ग्रामीण परिवेश के व कम पढ़े-लिखे हों।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 876/20 धारा 34,419,420,467,468,471 भादंवि व धारा 65,66सी, 66डी, व 72 सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम

नोट:- उक्त अभियुक्तों द्वारा पूर्व में की गई घटनाओं के संबंध में भी जांच की जा रही है।

पुलिस टीम

- प्र०नि० श्री संजय कुमार यादव, उ०नि० रामधार सिंह, उ०नि० राजेश कुमार, उ०नि० सुनील राय, हे०कां० संगमलाल उपाध्याय, कां० लालबाबू व कां० कुलदीप मय हमराह थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।
- उ०नि० प्रमोद सिंह, का० राजेन्द्र कुमार, कां० सत्यम यादव, कां० जागीर व कां० अरविन्द दुबे स्वाट टीम जनपद प्रतापगढ़।

अवैध पिस्टल व कारतूस के साथ एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार-

जनपद के थाना हथिगवां से उ०नि० सूर्य प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र हथिगवां के जहानाबाद ओवरब्रिज के नीचे से एक व्यक्ति महेन्द्र यादव पुत्र विजय बहादुर यादव निवासी लाई, थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज को 01 अदद अवैध पिस्टल 32 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 247/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- महेन्द्र यादव पुत्र विजय बहादुर यादव निवासी लाई, थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज

बरामदगी- 01 अदद अवैध पिस्टल 32 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 01-मु०अ०सं० 10/16 धारा 302 भादंवि थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़
- 02-मु०अ०सं० 144/17 धारा 379, 411 भादंवि थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़
- 03-मु०अ०सं० 60/18 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़

नोट- गिरफ्तार अभियुक्त महेन्द्र यादव वर्ष 2016 में थाना मानिकपुर से हत्या के मुकदमें में जेल जा चुका है। इसके विरुद्ध थाना हेबागोडी, इलेक्ट्रानिक सिटी, बंगलोर में भी धारा 302 भादंवि का अभियोग पंजीकृत है।

लूट के मोबाइल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार- (थाना जेठवारा)

कल दिनांक 17.12.2020 को थानाक्षेत्र जेठवारा के उमरी नाला के पास से एक व्यक्ति राजकुमार पटेल पुत्र काशीराम निवासी उमरी बुजुर्ग थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ से 03 व्यक्तियों द्वारा उसका मोबाइल छीनकर भागने का प्रयास किया गया, इस पर राजकुमार पटेल के शोर मचाने पर आसपास के लोगों द्वारा उक्त 03 व्यक्तियों में से 01 व्यक्ति को मौके पर पकड़ लिया गया तथा 02 व्यक्ति अपनी मोटर साइकिल से भाग निकले। पकड़े हुए व्यक्ति ने अपना नाम इरफान पुत्र मो० रशीद निवासी करमचंदपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ बताया व मौके से फरार अपने साथियों का नाम क्रमशः 01. शहजाद पुत्र रजब निवासी त्रिलोकपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ 02. अनस पुत्र मो० हनीफ निवासी करमचंदपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ बताया। गांव वालों द्वारा थाना जेठवारा आकर उक्त अभियुक्त इरफान को पुलिस को सुपुर्द किया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त इरफान को हिरासत में लेकर उसके पास से लूट का 01 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया। इस संबंध में थाना स्थानीय पर वादी राजकुमार पटेल उपर्युक्त की तहरीर पर मु०अ०सं० 580/20 धारा 392, 411 भादंवि का अभियोग उक्त तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

- इरफान पुत्र मो० रशीद निवासी करमचंदपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़

बरमादगी- 01 अदद मोबाइल फोन (लूट का)

गिरफ्तार अभियुक्त इरफान का आपराधिक इतिहास-

01. मु०अ०सं० 173/20 धारा 392 भादंवि थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़
02. मु०सं० 351/20 धारा 392 भादंवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़
03. मु०अ०सं० 580/20 धारा 392, 411 भादंवि थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़